न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 13/2025 तारीख रजू:– 21.04.2025

जीसीएमएस नं. 2025/147

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

पिंटु पुत्र गोपाल जाति गौड निवासी खेडी हैवत तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ——————————————————प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली (राज0)——————————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित:– 1. श्री राघवेन्द्र जैमिनी एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है आराजी खसरा नम्बर 1596, 1597, 1598, 1599 कुल रकवा 1.33 है0 स्थित ग्राम खेड़ी हैवत तहसील सूरौठ जिला करौली स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम हिण्डल दर्ज है जो हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के हिस्सा 1/6 पर काबिज व दखील है। प्रार्थी को उक्त भूमि अपने पिता गोपाल से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिसके विधिक वारिसान कायम मुकाम नरेन्द्र, मनोज व पिन्टू है। जो हाल रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। गोपाल की मृत्यु के बाद सायल शिशु अवस्था में था, जिसका नाम रेवेन्यू रिकार्ड में रेवेन्यू अधिकरियों से पिन्टू के स्थान पर हिण्डल दर्ज हो गया।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है प्रार्थी के शैक्षणिक दस्तावेज दसवीं की अंकतालिका, राशन कार्ड, आधार कार्ड व पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम पिन्टू गौड़ ही दर्ज है। प्रार्थी बाहर रहकर मजदूरी करता है। प्रार्थी किसान पहचान कार्ड बनवाने गया तब प्रार्थी को उक्त अपना नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने की जानकारी हुई।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थी दिनांक 07.03. 2025 को रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम हिण्डल नाम को हजफ कराकर पिन्टू गौड़ अकित कराने का तहसीलदार सूरौठ से निवेदन किया तो तहसीलदार साहब ने प्रार्थी का रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नाम हिण्डल को हजफ करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और श्रीमान तहसीलदार साहब ने माननीय की अदालत में चाराजोही करने के लिए कहा। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है उक्त रेवेन्यू रिकॉर्ड के कारण प्रार्थी को सरकारी योजनाएं व किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, क्योंकि प्रार्थी के दस्तावेज में सही नाम पिन्टू गौड़ दर्ज है, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में हिण्डल होने से आधार कार्ड व जमाबंदी लिंक नहीं हो पा रही हैं, जिससे प्रार्थी को आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा सरकारी योजनाओं का लाभनहीं मिल पा रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में हिण्डल के स्थान पर पिन्टू गौड़ किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि व नीयत न्याय शुल्क 2 रुपये पर पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है प्रार्थना पत्र को सुनने व फैसल करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1596, 1597, 1598, 1599 कुल रकवा 1. 33 है० स्थित ग्राम खेड़ीहैवत, तहसील सूरौठ, जिला करौली की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में दर्ज सायल का नाम हिण्डल हजफ कर उसके स्थान पर पिन्टू गौड़ दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 12.02.2026 को एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 679123228800 पिन्टू पुत्र गोपाल निवासी खेडी हैवत करौली, फोटो प्रति पैन कार्ड सं0 BJNPG1654F पिन्टू गौड पुत्र रामगोपाल , फोटो प्रति राशन कमांक 00254 पिन्टू पुत्र गोपाल पता जाटव बस्ती खेडी हैवत हिण्डौन करौली, फोटो प्रति जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान करौली (राज.) कक्षा 8 की अंकतालिका कमांक 0027297, नामांक 22119 पिन्टू गौड पुत्र रामगोपाल गौड पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1596 रकबा 0.27 है0, 1597 रकबा 0.03 है0, 1598 रकबा 0.01 है0, 1599 रकबा 1.02 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.33 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील सूरौठ जिला करौली में खातेदारी के कॉलम में हिण्डल पुत्र गोपाल हि0 1/6 जाति लोहार सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नंम्बर 1596 रकबा 0.27 है0, 1597 रकबा 0.03 है0, रकबा 1598 रकबा 0.01 है0, 1599 रकबा 1.02 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.33 है0, वाके ग्राम खेडी हैवत तहसील सूरौठ जिला करौली में प्रार्थी का नाम हिण्डल पुत्र गोपाल हि0 1/6 जाति

लोहार सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 679123228800 पिन्टू पुत्र गोपाल निवासी खेडी हैवत करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

पैन कार्ड सं0 BJNPG1654F पिन्टू गौड पुत्र राम गोपाल गौड के नाम जारी किया हुआ है।

राशन कार्ड कमांक 00254 पिन्टू पुत्र गोपाल पता जाटव बस्ती खेडी हैवत हिण्डौन करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान करौली (राज.) कक्षा 8 की अंकतालिका कमांक 0027297 में पिन्टू गौड पुत्र राम गोपाल गौड के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम पिन्टू पुत्र गोपाल है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हिण्डल पुत्र गोपाल गलत दर्ज हो गया है। जिसकी प्रार्थी दुरूस्ती कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नंम्बर 1596 रकबा 0.27 है0, 1597 रकबा 0.03 है0, रकबा 1598 रकबा 0.01 है0, 1599 रकबा 1.02 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.33 है0, वाके ग्राम खेडी हैवत तहसील सूरौठ जिला करौली में प्रार्थी का नाम हिण्डल पुत्र गोपाल हि0 1/6 जाति लोहार सा0 देह खातेदार के स्थान पर पिन्टू पुत्र गोपाल हि0 1/6 जाति लोहार सा0 देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/4/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली